POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 14.04.2025

1.थाना कासना पुलिस द्वारा अस्लाह दिखाकर वसूली करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 13.04.2025 को वादी से अभियुक्तो 1. दीपक पुत्र श्यामवीर 2. सौरभ पुत्र श्यामवीर 3. कपिल पुत्र बलजीत 4. सलमान पुत्र ईदू 5. ऋषभ पुत्र देवेन्द्र 6. सागर 7. आकिब 8. अरविंद और इनके अन्य अज्ञात साथियों द्वारा गत्ता ले जाने का प्रतिदिन 01 रुपया प्रति किलो रंगदारी वसूलने तथा न देने पर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके आधार पर मु0अ0स0 70/2025 धारा 308(4), 115(2), 352, 351(2) ,3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- थाना कासना पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए **दिनांक 14.04.2025** को अभियुक्तो 1. सौरभ पुत्र श्यामवीर उम्र 21 वर्ष 2. ऋषभ भाटी पुत्र देवेन्द्र भाटी उम्र 19 वर्ष 3. सलमान पुत्र ईदू खान उम्र 21 वर्ष को रंगदारी वसूलने में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर एवं सीजशुदा मो0सा0 नं0 यूपी 16 डीएक्स 4889 के साथ बंद पड़ी कंपनी ग्राम खानपुर साईट 5 से **गिरफ्तार** किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण स्थानीय कबाड़ियों से गत्ता ले जाने की जानकारी पता करते रहते हैं, जब कोई कबाड़ी गत्ता तुलवाने नज़दीकी धर्मकांटा में पहुँचने वाला होता है तो अभियुक्तगण के साथी मौक़े पर पहुँचकर संबंधित कबाड़ी से तौले गए माल का एक रुपया प्रति किलो रंगदारी वसूलते हैं व न देने पर उसके साथ मारपीट व धमकी देते हैं। इस तरह ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लगभग सभी कबाड़ियों से 01 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रंगदारी का रुपया लेते हैं। इस गैंग की प्रतिदिन की औसतन कमाई लगभग 60-70 हज़ार रुपये हो जाती है।
चूंकि गत्ते के कबाड़ी बाहरी व्यक्ति होते हैं, प्रायः शिकायत करने से बचना चाहते हैं इसका फ़ायदा उठाकर यह अपराधी इन सब को धमकाकर रंगदारी वसूलने का लगातार काम कर रहे थे।
छोटी-छोटी शिकायत मिलने पर प्रकरण को गंभीरता से लेकर मामले की जाँच करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना का सफल अनावरण किया गया है। अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध जाँच करते हुए तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. ऋषभ भाटी पुत्र देवेन्द्र भाटी नि0 ग्राम लडपुरा थाना कासना गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष
2. सौरभ पुत्र श्यामवीर नि0 ग्राम दादुपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष

3. सलमान पुत्र ईदू खान नि0 प्रवीण भाटी का मकान भीम की मण्डिया कासना थाना कासना गौतमबुद्धनगर स्थायी पता थाना शिकारपुर बुलन्दशहर उम्र 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 70/2025 धारा 308(4), 115(2), 352, 351(2) ,3(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कासना गौतमबुद्ध नगर

बरामदगी का विवरण--

1. 02 तमंचे .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
2. सीजशुदा मो0सा0 नं0 यूपी 16 डीएक्स 4889